न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/165

1. डॉ. परम नवदीप पत्नी नवदीप सिंह पुत्री स्व0 सुरजीत सिंह जाति सिख निवासी ए–35 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।
2. मुख्त्यार सिंह सिंधु पुत्र स्व0 सुरजीत सिंह निवासी डी–86 मीरा मार्ग बनीपार्क जयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार अलवर जिला अलवर प्रकरण संख्या 39/2022 आदेश दिनांक 20.07.2022 उनवानी मुख्त्यार सिंह बनाम राज0 सरकार अंतर्गत धारा 135(2) ।

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री गौरव सिंह, कुलदीप सिंह वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–14.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार अलवर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 20.07.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम अलवर तहसील व जिला अलवर में स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 2946 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा जिसका हाल खसरा नं. 1041 रकबा 3.71 है0 के मृतक खातेदार अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 के पिता स्व0 श्री सुरजीत सिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/16 जो कि नामा0 संख्या 38 दिनांक 17.10.1995 से दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रश्नगत भूमि स्व0 श्री सुरजीत सिंह के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 के नाम पंजीकृत वसीयत दिनांक 07.11.2012 के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा खातेदार स्व0 श्री सुरजीत सिंह के हिस्से की भूमि पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 20.07.2022 को दिए गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. तहसीलदार अलवर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 20.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट डॉ. परम नवदीप पत्नी नवदीप सिंह पुत्री स्व0 सुरजीत सिंह जाति सिख द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 20.07.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट को रजि0 डाक नोटिस जारी किये गये तथा उक्त प्रकरण में रजि0नोटिस दिनांक 12.07.2022 को लेने से इन्कारी का रिमार्क प्राप्त होने के उपरान्त तथा अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एकपक्षीय आदेश दिनांक 20.07.2022 को पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में वसीयत के आधार पर खुले नामान्तकरण को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया है। जो बिना अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है जो सही तथ्यो, रिकार्ड एवं न्याय शास्त्र के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थो मे समझे बिना ही पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर बिना अपीलार्थी को सुने ही मात्र प्रत्यर्थी संख्या 2 के कथनानुसार ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के पिताजी की मृत्यु दिनांक 06.12.2020 को हो चुकी है यह कि अपीलान्ट के पिताजी के नाम से विभिन्न जगह पर कृषि भूमि व अन्य सम्पत्तियां स्थित है जिसके विधिक तौर पर अपीलान्ट सुरजीत सिंह की जायन्दा पुत्री होने से कृषि भूमियों व सम्पत्तियों में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अध्याय 4 के अन्तर्गत अनुसूची के अनुसार प्रथम श्रेणी वारिस है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत आसामियों का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। अपीलान्ट के पिता सुरजीत सिंह बीमार, मानसिक अस्वस्थ तथा अनपढ व्यक्ति थे तब मुख्त्यार सिंह द्वारा धोखे से अपने पिता पुत्र के रिश्ते का तथा पारिवारिक संबंधों का नाजायज फायदा उठाकर एक फर्जी, बनावटी व कूटरचित वसीयत कपट व धोखे से उक्त विवादित सम्पत्तियों/भूमियों बाबत अपने हक में करवा ली गई है जो अपीलान्ट के हक अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस सब तथ्यों को दरकिनार कर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में वसीयत के आधार पर नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने बाबत आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है यह कि उक्त कूटरचित, फर्जी व बनावटी कपटपूर्वक करवाई गई वसीयत बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का एक सिविल वाद बउनवानी डॉ. परमनवदीप बनाम मुख्त्यार सिंह व अन्य के नाम से मुकदमा नम्बर 16/2021 न्यायालय एडीजे क्रम संख्या 7 के यहां विचाराधीन है तथा इसी फर्जी व बनावटी वसीयत बाबत प्रथम सूचना

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिपोर्ट संख्या 01/2021 पुलिस थाना सामोद, 06/2021 पुलिस थाना कालवाड, 16/2021 पुलिस थाना करधनी, 14/2021 पुलिस थाना बनीपार्क, 10/2021 पुलिस थाना ज्योति नगर, 19/2021 पुलिस थाना वैशाली नगर में दर्ज हुई है। उक्त समस्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उक्त विवादित वसीयत बाबत अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में बउनवानी डॉ. परम नवदीप बनाम मुख्त्यार सिंह अपील संख्या 1974/2021, 1975/2021 विचाराधीन है तथा इन अपीलों में टी. आई. आदेश में सम्पति अन्तरण अधिनियम 52 के तहत पक्षकारों को निर्देशित किया गया है जिसमें उक्त भूमि बाबत हक अधिकार तय होना शेष है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है यह कि जहां तक वसीयत का प्रश्न है जिसकी वैधता सक्षम सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है तथा सिविल न्यायालय से प्रोबेट हांसिल किये बिना उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोला जाना सम्भव नही है। चूंकि नामान्तकरण प्रक्रिया एक समरी प्रोसिंग है तथा नामान्तकरण में पक्षकारों के हक अधिकार तय नही होते है तथा जहां विरासत/वसीयत विवादित है वहां नामान्तकरण की कार्यवाही सक्षम सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय के निर्णय तक स्थगित किया जाना अनेको न्यायिक निर्णयों में विभिन्न न्यायालयों के निर्णय खारिज किये है। जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है । ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अलवर, जिला अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 39/2022 उनवानी मुख्त्यार सिंह बनाम राज. सरकार वगै. में पारित आदेश 20.07.2022 को खारिज फरमाये जाते हुए तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 40 के तहत सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

6. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अलवर, जिला अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम में प्रार्थी के हक में वसीयत के आधार पर नामान्तरण अमल बरामद करने के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये जिसे अपीलार्थी द्वारा लेने से इन्कार करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार दैनिक अखबार में नोटिस निकालने के आदेश दिये, जिस पर राजस्थान पत्रिका में सूचना के नोटिस छपे परन्तु अपीलार्थी बाद तामिल भी प्रकरण में उपस्थित नही हुए। जिस पर आलोच्य आदेश नियमानुसार प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित किया गया। उक्त भूमि स्वर्गीय सरदार सुरजीत सिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जिसमें उनका 1/16 हिस्सा था । स्व. सरदार सुरजीत सिंह जो कि अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी के पिता थे, के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 07/11/2012 उपपंजीयक जयपुर पंचम के समक्ष निष्पादित की तथा दिनांक 06/12/2020 को सुरजीत सिंह जी का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वर्गवास हो जाने के साथ ही कानूनी वसीयत की रूह से सम्बन्धित उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार डॉ. मुख्त्यार सिंह सिद्धू में निहित हो गये तथा उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी ही काबिज है तथा काश्त कर रहा है। यहां यह कहना भी आवश्यक है कि उक्त वसीयत पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी बतौर गवाह मौजूद है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वसीयत के संबंध में प्रत्यर्थी के विरूद्ध कई प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, जिनमें दौराने तफ्तीश राज्य एफएसएल से उक्त पंजीकृत वसीयत की जांच करवाई गई। राज्य के फिंगर प्रिन्ट ब्यूरों द्वारा अपीलार्थी के अंगूठा निशानी पंजीकृत वसीयत पर होना पाया व राज्य एफएसएल द्वारा भी अपीलार्थी के भी हस्ताक्षर उक्त पंजीकृत वसीयत पर होना पाया गया।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा दो सिविल वाद बाबत् घोषणा, बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा के स्वर्गीय सरदार सुरजीत सिंह व स्वगीय पाल कौर की रिहायशी व व्यवसायिक सम्पत्तियों की, की गई पंजीकृत वसीयत को चुनौती देते हुए जिला न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय में प्रस्तुत किये गये थे। आवेदिका द्वारा उपरोक्त वादों के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 3 जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 69/2021, "डॉ. परम नवदीप सिंह बनाम डॉ. मुख्त्यार सिंह व अन्य" में आदेश दिनांक 30/10/2021 द्वारा स्व. सरदार सुरजीत सिंह की वसीयत दिनांक 07/11/2012, जो डॉ. मुख्त्यार सिंह सिद्धू के पक्ष में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई थी, को प्रथमदृष्ट्या सही मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम संख्या 3 जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 68/2021, "डॉ. परम नवदीप सिंह बनाम डॉ. मुख्त्यार सिंह व अन्य" में आदेश दिनांक 30/10/2021 द्वारा स्व. पाल कौर की वसीयत दिनांक 07/11/2012, जो रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई थी, को भी प्रथम दृष्ट्या सही मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया। उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी डॉ. परम नवदीप द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जरिये अपील चुनौती दी गई, जो एस.बी. सिविल मिसलेनियस अपील संख्या 1974/2021 व 1975/2021 के रूप में दर्ज हुई। उक्त दोनों अपीलों के साथ अपीलार्थी डॉ. परम नवदीप द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनते हुए आदेश दिनांक 04/02/2022 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिये कि प्रकरण की परिस्थितियों में अन्तरिम निषेधाज्ञा दिये जाने के आदेश की कोई आवश्यकता नही है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेखित किया है कि प्रत्यर्थी को वसीयत में वर्णित सम्पतियों को अन्तरित करने से रोकने की कोई पाबन्दी लगाने की भी आवश्यकता नही है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एसएलपी पेश की गई, जो भी खारिज हो गई । उक्त वसीयत पंजीकृत वसीयत है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पंजीकृत वसीयत को प्रथमदृष्ट्या वैध माना जायेगा। इस प्रकार माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार वसीयत को प्रथमतः वैध मानते हुए अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण के आदेश दिये है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा विधिवत् ही प्रार्थी के पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा विधिवत् ही उक्त प्रश्नगत भूमि स्व0 श्री सुरजीत सिंह के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 के नाम पंजीकृत वसीयत दिनांक 07.11.2012 के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा खातेदार स्व0 श्री सुरजीत सिंह के हिस्से की भूमि पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 20.07.2022 को दिए गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित. में दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 22.08.2022 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम अलवर तहसील व जिला अलवर में स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 2946 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा जिसका हाल खसरा नं. 1041 रकबा 3.71 है0 के मृतक खातेदार अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 के पिता स्व0 श्री सुरजीत सिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/16 जो कि नामा0 संख्या 38 दिनांक 17.10.1995 से दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रश्नगत भूमि स्व0 श्री सुरजीत सिंह के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 के नाम पंजीकृत वसीयत दिनांक 07.11.2012 के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा खातेदार स्व0 श्री सुरजीत सिंह के हिस्से की भूमि पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 20.07.2022 को दिए गये। प्रकरण में मूल विवाद उक्त वसीयत दिनांक 07.11.2012 को लेकर है। जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा दो सिविल वाद बाबत् घोषणा, बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा के स्वर्गीय सरदार सुरजीत सिंह व स्वगीय पाल कौर की रिहायशी व व्यवसायिक सम्पत्तियों की, की गई पंजीकृत वसीयत को चुनौती देते हुए जिला न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय में प्रस्तुत किये गये। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त वादों के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 3 जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 69/2021, "डॉ. परम नवदीप सिंह बनाम डॉ. मुख्त्यार सिंह व अन्य" में आदेश दिनांक 30/10/2021 द्वारा स्व. सरदार सुरजीत सिंह की वसीयत दिनांक 07/11/2012, जो डॉ. मुख्त्यार सिंह सिद्धू के पक्ष में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई थी, को प्रथमदृष्ट्या सही मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम संख्या 3 जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 68/2021, "डॉ. परम नवदीप सिंह बनाम डॉ. मुख्त्यार सिंह व अन्य" में आदेश दिनांक 30/10/2021 द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्व. पाल कौर की वसीयत दिनांक 07/11/2012, जो रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई थी, को भी प्रथमदृष्ट्या सही मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया। उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी डॉ. परम नवदीप द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जरिये अपील चुनौती दी गई, जो एस.बी. सिविल मिसलेनियस अपील संख्या 1974/2021 व 1975/2021 के रूप में दर्ज हुई। उक्त दोनों अपीलों के साथ अपीलार्थी डॉ. परम नवदीप द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनते हुए आदेश दिनांक 04/02/2022 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिये कि प्रकरण की परिस्थितियों में अन्तरिम निषेधाज्ञा दिये जाने के आदेश की कोई आवश्यकता नही है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेखित किया है कि प्रत्यर्थी को वसीयत में वर्णित सम्पतियों को अन्तरित करने से रोकने की कोई पाबन्दी लगाने की भी आवश्यकता नही है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एसएलपी पेश की गई, जो भी खारिज हो गई। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा विधिवत् सभी निर्णायक निर्णयों का उचित रूप से अवलोकन करते हुये उक्त पंजीकृत वसीयत दिनांक 07.11.2012 के आधार पर वसीयतगृहिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने का विधिसम्मत् अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 20.07.2022 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर